

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**  
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
 (दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-864/2013)/अलेसे-III/964-67

दिनांक :- 13/2/23


**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-III को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिनक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11533	दीप सिंह	M.COM (BUS.ADMN.)FINAL YEAR EXAM 2023 (Private NC)	Maharshi Dayanand Sarswati University, Ajmer	अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर
			UGC NET December 2022	National Testing Agency (Ministry of Education, Govt. of India)	
			Rajasthan State Eligibility Test 2023	Govind Guru Tribal University, Banswara (Raj.)	

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
 (भूपेश माथुर)  
 निदेशक एवं पादेन  
 संयुक्त शासन सचिव  
 दिनांक :- 13/2/23

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-864/2013)/अलेसे-III/964-67

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. दीप सिंह, स.ले.अ. ग्रेड-III, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
 (कै.जी. गुप्ता)  
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**  
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
 (दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(जी-1936/2013)/अलेसे-III/968-71

दिनांक :- 13/2/23

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10756	गौरव कुमार	एम. कॉम अन्तिम वर्ष 2023 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	तहसीलदार रैणी, अलवर
2			यू.जी.सी. नेट, दिसम्बर-2022 (.....)	एन.टी.ए.	

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

**भूपेश माथुर**  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पादेन  
संयुक्त शासन सचिव  
दिनांक :- 13/2/23

क्रमांक : एफ.4(ई)(एफ-2310/2013)/अलेसे-III/968-71  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार रैणी, अलवर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. गौरव कुमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, तहसीलदार रैणी, अलवर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

**(कै.जी. गुप्ता)**

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(जी-2304/2013)/अलेसे-II/971-75

दिनांक :- 13/2/23

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12133	गुरुदयाल मौर्य	एम. कॉम अन्तिम वर्ष 2022-23 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झालाना, जयपुर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पादेन


संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 13/2/23

क्रमांक : एफ.4(ई)(जी-2304/2013)/अलेसे-II/971-75

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. गुरुदयाल मौर्य, स.ले.अ.ग्रेड-II महिला अधिकारिता विभाग, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(के.जी. गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)